भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2952

दिनांक 13.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई–पासपोर्ट का शुभारंभ

2952 डा. अशोक कुमार मित्तल:

क्या ***विदेश*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय नागरिकों के लिए उन्नत चिप–आधारित ई–पासपोर्ट का देशव्यापी स्तर पर शुभारंभ और बड़े पैमाने पर जारी किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन नए पासपोर्ट पुस्तिकाओं में एकीकृत रेडियों–फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) प्रौद्यौगिकी और बायोमेट्रिक डेटा के एन्क्रिप्शन संबंधी नयाचारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन ई–पासपोर्ट के त्वरित प्रक्रमण के लिए सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर आव्रजन अवसंरचना का स्तरोन्नयन किया है;

(घ) इन दस्तावेजों के निर्माण हेतु सरकारी सुरक्षा मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित कुल वित्तीय परिव्यय कितना है; और

(ङ) भौतिक और डिजिटल जालसाजी को रोकरने के लिए कौन–कौन से उपाय कार्यान्वित किए गए हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) वर्तमान में सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा ई–पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में ई–पासपोर्ट का कार्यान्वयन मई 2025 में तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/केंद्रों में अक्टूबर 2025 में पूरा हो गया था। 30 जुलाई 2026 तक भारत और विदेशों में कुल 1,73,16,144 ई–पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं।

(ख) ई–पासपोर्ट एक संयुक्त कागजी और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है, जिसमें एक इनले में रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान चिप और एंटीना अंतर्निहित होते हैं। ई–पासपोर्ट का प्रमुख लाभ इसकी डाटा की अखंडता बनाए रखने की उन्नत क्षमता है, क्योंकि पासपोर्ट पर मुद्रित डाटा के साथ–साथ चिप में डिजिटल रूप से भी डाटा संग्रहीत किया जाता है, जिससे जालसाजी करना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त, ई–पासपोर्ट की सुरक्षा को पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा और सुदृढ़ किया जाता है, जो संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा तथा ई–पासपोर्ट के भीतर चिप पर संग्रहीत व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक डेटा की अखंडता और स्रोत की पुष्टि करने का आधार है।

(ग) ई–चिप पासपोर्ट के प्रमाणीकरण तथा भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थित आव्रजन केंद्रों में उपयोग के लिए इसे आईवीएफआरटी (आव्रजन, वीज़ा, विदेशियों का पंजीकरण एवं ट्रैकिंग) एप्लीकेशन के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है।

(घ) ई–पासपोर्ट पुस्तिकाओं के निर्माण के लिए इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक के संबंध में अंतिम प्रशासनिक प्रक्रिया और नीतिगत नियंत्रण रखता है।

(ङ) डिजिटल और भौतिक जालसाजी को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की सिफारिशों के अनुसार डेटा के वैयक्तिकरण के साथ ई–पासपोर्ट में अद्यतन सुरक्षा विशेषताएँ शामिल की गई हैं।
